**बिहार सरकार**

**<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>**

पत्रांक:- 380348 पटना, दिनांक:- 23/07/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(कार्यक्रम)-102-59/2018

प्रेषक,

**कँवल तनुज,** भा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी ।**
**(पटना जिला को छोड़कर)**

**विषय:-** **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन में प्रगति लाने हेतु दिनांक 27.07.2018 (शुक्रवार) को राज्य भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को आवास निर्माण के प्रति जागरूक करने तथा इसे शीघ्र पूरा कराने के लिए योजना से सम्बद्ध कर्मियों एवं लाभार्थियों का राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर **दिनांक 27.07.2018 को** विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है । कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्रवाई की जायेगी :-

(1) मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्तर पर दिनांक 27.07.2018 को अधिवेशन भवन, पुराना सचिवालय परिसर में आयोजित होगा जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शामिल होंगे । इस प्रकार का कार्यक्रम जिले के प्रत्येक प्रखण्डों में आयोजित किया जायेगा ।

(2) जिला स्तर पर पटना को छोड़कर सभी जिलों में दिनांक 27.07.2018 को कार्यक्रम जिला के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया जायेगा । उप विकास आयुक्त सहित योजना से संबंधित जिला स्तर के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे । इसके अतिरिक्त सदर प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा योजना से संबंधित सभी आवास कर्मी उपस्थित रहेंगे ।

(3) जिला स्तरीय जन प्रतिनिधिगण यथा लोकसभा सदस्य, विधान मंडल सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, आदि की सहभागिता हेतु अपने स्तर से अनुरोध किया जाय ।

(4) प्रखण्ड स्तरीय समारोह में अपनाई जाने वाली आगामी कंडिकाओं में वर्णित व्यवस्था जिला स्तरीय समारोह में भी की जायेगी ।

(5) प्रत्येक प्रखण्ड में (सदर प्रखण्ड को छोड़कर) दिनांक 27.07.2018 को एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा । इसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभार्थियों के साथ-साथ योजना से सम्बद्ध कार्मिकों यथा- ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) एवं कार्यपालक सहायक की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी ।

(6) कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधि यथा- बिहार विधान मंडल के सदस्य, लोकसभा सदस्य, जिलों के प्रभारी मंत्री की सहभागिता हेतु अपने स्तर से अनुरोध किया जाय ।

(7) कार्यक्रम आयोजन के लिए प्रखण्ड स्तर पर छतदार सामुदायिक भवन अथवा अन्य कोई सरकारी भवन, जो कार्यक्रम आयोजन के लिए उपयुक्त हो, को चिन्हित किया जा सकता है ।

(8) कार्यक्रम में सहभागियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ ही पेय जल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

(9) कार्यक्रम में निम्नांकित जानकारियाँ दी जायेंगी :-

क. प्रखण्ड अंतर्गत योजना के तहत सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित घरों से लाभुकों का परिचय कराया जायेगा ।

ख. योजना के तहत आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके लाभुकों से अन्य लाभुकों का परिचय कराया जायेगा ताकि स्वीकृति प्राप्त/आवास निर्माण हेतु लंबित आवासों के लाभुक प्रेरित हो सकें ।

ग. दिनांक 26.07.2018 तक स्वीकृति प्राप्त लाभुक जिन्हें प्रथम किश्त की राशि अंतरित की गई है उन्हें अंतरित सहायता राशि का बैंक पासबुक हस्तगत कराया जायेगा ।

घ. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये Housing Design एवं प्राक्कलन तथा आवास निर्माण हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी उन्हें दी जायेगी । इसके लिए राज्य स्तर पर तैयार की गई पुस्तिका, जो जिलों को उपलब्ध करायी गयी है सभी लाभार्थियों को हस्तगत करायी जायेगी । किन्तु यह उन्हीं लाभुकों को प्रदान की जायेगी जिनका आवास अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है तथा पूर्व में उन्हें पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

ङ. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अभिसरण से शौचालय निर्माण हेतु लाभुकों को सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया बताई जायेगी ।

च. आवास एवं शौचालय निर्माण हेतु मनरेगा से मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया उन्हें समझायी जायेगी ।

छ. मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया से लाभुकों को अवगत कराया जायेगा ताकि योजना के तहत लाभ प्राप्त लाभुक 90/95 दिवस के मजदूरी का लाभ उठा सकें ।

(10) कार्यक्रम में बैंक खाता, आधार कार्ड, फोटो, जॉब कार्ड आदि बनाने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि आवश्यकतानुसार लाभुकों के ये कार्य कार्यक्रम स्थल पर ही निष्पादित कर दिए जाएँ ।

(11) कार्यक्रम में प्रखण्ड स्तरीय मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रखण्ड स्तर पर अधिकृत कार्मिक, बैंककर्मी, आधार कार्ड से संबंधित कर्मी, विद्युत विभाग के कर्मी आदि की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जायेगी, ताकि लाभुकों को संबंधित योजनाओं के लाभ की विस्तृत जानकारी दिलायी जा सके ।

(12) ग्रामीण आवास सहायकों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के पात्र लाभुकों को कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी दिनांक 24.07.2018 के पूर्व दे दी जायेगी ताकि वे अपने रोजमर्रा के कार्यो को देखते हुए समय निकाल कर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहभागिता कर सकें ।

(13) कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का वहन जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक मद में उपलब्ध निधि से किया जायेगा । यदि किसी जिला में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो तो इसके लिए विभाग से अधियाचना की जायेगी ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त व्यवस्था के साथ दिनांक **27.07.2018 (शुक्रवार)** को कार्यक्रम के सफलतापूर्वक एवं निर्विघ्न आयोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि दिसम्बर 2018 तक वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लक्ष्य के अनुरूप 11.76 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

विश्वासभाजन

23/7

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 380348 पटना, दिनांक 23/07/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव
23/7